305

न्यायालय श्रीमान सदस्य महोदय, मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल,

ग्वालियर म.प्र.

पुनरीक्षण क्रमांक / 2012-- 13 R-256-I/13

सतीश चन्द्र पुत्र मुरलीधर, जाति ब्राम्हण आयु 48 साल, निवासी ग्राम मूंडला आना तहसील सोनकच्छ, जिला देवास म.प्र.

.... पुनरीक्षणकर्ता

श्री मयंक व्यास, अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत ।

बनाम

1. जीवन सिंह पुत्र दलेप सिंह जाति सेंधव कृषक एवं निवासी ग्राम मूंडला आना तहसील सोनकच्छ जिला देवास म.प्र.
2. अजाब सिंह पुत्र दलेप सिंह जाति सेंधव कृषक एवं निवासी ग्राम मूंडला आना तहसील सोनकच्छ जिला देवास म.प्र.

...... गैर पुनरीक्षणकर्ता

18-1-13

18/1/13

पुनरीक्षण आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भूराजस्व संहिता

(माननीय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार तहसील सोनकच्छ जिला देवास के न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 1 अ 13 /2012 – 13 में पारित अंतरिम निर्णय दिनांक 10.01.2013 के विरूद्ध ।

माननीय न्यायालय,

पुनरीक्षणकर्ता की ओर से निम्नाकिंत पुनरीक्षणपत्र सादर सविनय प्रस्तुत है :–

1. यहकि, पुनरीक्षणकर्ता के विरूद्व गैर पुनरीक्षणकर्ता ने अधीनस्थ तहसीलदार तहसील सोनकच्छ के समक्ष एक वाद धारा 131, 132 म.प्र. भू राजस्व संहिता अधिनियम असत्य रूप से प्रस्तुत किया तथा धारा 32 भू राजस्व संहिता अधिनियम अंतरिम रूप से नवीन रास्ते की मांग की जिसे अवैध रूप से अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार किया जिसके विरूद्व यह पुनरीक्षण माननीय न्यायालय के समक्ष सादर सविनय प्रस्तुत है :–

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-256-एक/13 **जिला** - देवास

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक अधिवक्ता श्री दिवाकर दीक्षित उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25-5-19 को कलेक्टर, जिला देवास के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	